Speed Post

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: **NCST/SER-773/MP/15/2023-SSW** दिनांक: 21.02.2023

1.**श्री रमेश कुमार गुप्ता**
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश सरकार
सतपुड़ा भवन
भोपाल -462004 (मध्य प्रदेश)
ई मेल: pccfmp@mp.gov.in

2.**श्री सुधीर सक्सेना**
पुलिस महानिदेशक
मध्य प्रदेश सरकार
जहांगीराबाद
भोपाल -462008 (मध्य प्रदेश)
ई मेल: dgmp@mppolice.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वार षडयंत्र पूर्वक प्रताडित करने के संबंध में - श्री नारायण कटारा, वनपाल, रतलाम (मध्य प्रदेश) का दिनांक 27.01.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री नारायण कटारा** से दिनांक **27.01.2023** में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 **दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

आर.एस.मिश्र
(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1 श्री नारायण कटारा,
03 आदर्शनगर पटवारी कालोनी के पास,
रतलाम-457001
(मध्य प्रदेश)
(मो नं. 9424528519)

2. NIC, [NCST please upload on the Website]

o/c